जिला पदाधिकारी, पटना
–सह–अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल, पटना।

समाहरणालय पटना।

email – secpbtpatna@gmail.com

नीलामी नोटिस संख्या–PBT/EC/Project/21/22– 145 पटना, दिनांक– 13/10/22

शर्त्त एवं नियमावली

1. सुरक्षित जमा (न्यूनतम डाक) राशि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में बस स्टैण्ड हेतु मो0 53,44,625.00 (तिरपन लाख चौबालीस हजार छः सौ पचीस मात्र) रूपये होगी।
2. सुरक्षित जमा राशि को न्यूनतम डाक राशि के रूप में होगी।
3. बस पड़ाव स्टैण्ड हेतु आवंटी के द्वारा वाहनों से चुंगी की वसूली निम्नांकित दर से किया जायेगा :–

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	दर
1	2	3
1	प्राईवेट बस (बड़ी गाड़ी)	100.00 (सौ रूपये) प्रति खेप
2	मैक्सी टैक्सी	35.00 (पैंतीस रूपये) प्रति खेप
3	अन्य छोटी गाड़ी	10.00 (दस रूपये) प्रति खेप

4. सैरातों से कार्यकारिणी समिति, पाटलीपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना द्वारा उक्त निर्धारित दर से ही शुल्क वसूली करने का अधिकार सफलतम डाक वक्ता/बन्दोवस्तकार को होगा।
5. डाक में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/संस्था को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगाः–
   - (a) आवासीय प्रमाण–पत्र।
   - (b) वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो सूचना प्रकाशन के तिथि से 3 तीन माह अन्दर का निर्गत ही मान्य होगा।
   - (c) पैन कार्ड।
   - (d) सुरक्षित जमानत की राशि पाटलिपुत्र बस स्टैण्ड हेतु मो0 53,44,625.00 (तिरपन लाख चौबालीस हजार छः सौ पचीस मात्र) रूपये का बैंक ड्रॉफ्ट जो Executive Committee, ISBT, Patna के नाम से देय एवं बैंक ऑफ इंडिया, पश्चिमी बोरिंग रोड, पटना शाखा में भुगतेय हो, डाक तिथि के निर्धारित समय से कम–से–कम 02 घण्टे पूर्व तक कार्यालय अवधि में जमा कर रसीद प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।
   - (e) कोई व्यक्ति/संस्था यदि पूर्व से डिबार/कालीसूची में दर्ज है, तो वे डाक में भाग लेने के पात्र नहीं होगें। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
6. इच्छुक व्यक्ति/संस्था स्थल निरीक्षण के उपरान्त निर्धारित तिथि को डाक में भाग लेगें।
7. सफल डाक वक्ता के साथ एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया जाएगा।कार्य संतोषप्रद होने पर बन्दोबस्ती की अवधि 10% वृद्धि के शर्त्त के साथ अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जायेगा। परन्तु इस प्रकार से विस्तारित अवधि अधिकतम तीन वर्षों के लिए अनुमान्य होगी।
8. सफलतम डाक वक्ता को डाक की पूरी राशि डाक होने के पश्चात् (7) सात दिनों के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही बन्दोबस्ती का एकरारनामा कर आदेश निर्गत किया जायेगा। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में डाकवक्ता द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को जप्त करते हुए द्वितीय उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
9. डाक प्राप्तकर्त्ता को निबंधित एकरारनामा करने हेतु डाक की पूरी राशि के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क, आयकर एवं अन्य कर का भुगतान करना होगा।
10. उक्त सैरात को किसी के साथ सबलेट नहीं करना होगा।

Scanned with CamScanner

75

11. सभी बन्दोबस्ती यथास्थिति अवस्था में ही मान्य होगी।
12. सैरात से संबंधित आवश्यक अत्याधुनिक व्यवस्था सफलतम डाक प्राप्तकर्त्ता द्वारा किया जायेगा, जिसकी जानकारी समिति के सचिव एवं नोडल पदाधिकारी को देते हुए उनकी देख–रेख/मार्ग–दर्शन में अधिष्ठापन कराया जायेगा।
13. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में बस पड़ाव स्टैण्ड पर दुकान अथवा गुमटी लगवाने का अधिकार सफल डाकवक्ता/संवेदक की नहीं होगा।
14. बन्दोबस्तदार द्वारा सैरात कार्य अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था/कनेक्शन की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
15. डाकवक्ता/संवेदक तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा बस पड़ाव पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
16. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के सुव्यवस्थित रूप से बसों (बड़े वाहन) का पड़ाव एवं परिचालन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी।
17. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के अन्दर आवंटित बस स्टैण्ड में किसी प्रकार की गैर–कानूनी गतिविधियाँ संचालन होने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी। साथ ही इस संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने और जांच में सही पाये जाने पर डाकवक्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा एवं जमानत की राशि को जप्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
18. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में डाकवक्ता/संवेदक को आवंटित बस स्टैण्ड में चुंगी वसूली एवं सुरक्षा, साफ–सफाई हेतु उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों को वर्दी/यूनीफॉर्म एवं आई0कार्ड पहना होगा। उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों एवं अन्य की सूची समिति को उपलब्ध कराते हुए आई0कार्ड सम्पुष्ट कराना होगा।
19. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर के अन्दर सफाई इत्यादि का सम्पूर्ण जिम्मेवारी डाकवक्ता/संवेदक की होगी।
20. पाटलिपुत्र बस टर्मिनल परिसर में आवंटित स्थल पर स्थित सोसाईटी की परिसम्पत्ति को क्षति की जिम्मेवारी बन्दोबस्तदार की होगी एवं इसकी प्रतिपूर्ति उनसे की जायेगी।
21. किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर उसके निपटारे के लिए कार्यकारिणी समिति, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना ही सक्षम होंगे तथा उसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में डाकवक्ता/संवेदक को होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाटलिपुत्र बस टर्मिनल सोसाईटी, पटना स्तर से अनुमान्य नहीं होगा।
23. डाक को रद्द या स्वीकृत (औपबंधिक) करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

12/X/22

जिला पदाधिकारी, पटना।
–सह–अध्यक्ष, पाटलीपुत्रा बस टर्मिनल कार्यकारिणी समिति, पटना।

12/10

10/X/22

Scanned with CamScanner